

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

e-mail- ds.02b@uppcl.org



संख्या: 348—उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२४—प्रोन्नति(०२ब) / २०२४—२५

दिनांक : १८/१२/२०२४

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्थुति पर श्री कुमार विकल्प (अभिसं०-2015373, सैप आई०डी०-11003159) (गृह जनपद—लखनऊ) (सेवानिवृत्ति तिथि—31.01.2050), सहायक अधियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—सुल्तानपुर अन्तर्गत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग को अधिशासी अधियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत कर उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिंग को आवंटित किया जाता है।

- 2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—२९/९७—१४काविनी/८७, दिनांक ८ अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री कुमार विकल्प को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री अनिल कुमार पाल (अभिसं०-2015406, सैप आई०डी०-11002678) की सहायक अधियन्ता से अधिशासी अधियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 30.11.2023 से अधिशासी अधियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नति माने जाते हुये प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
- 3— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०—गोपन/पाकालि(०६)—२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
- 4— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं०-२९००—प्रशि०-१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अधियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 5— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।
- 6— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- 7— कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-२७७७—ज०श० प्र०सु० ऐ० प्रशि०-०१/२०२३, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रोन्नत उपरोक्त अधिकारी की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
- 8— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मात्रा उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-४२७४/२०२२, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।


अध्यक्ष

संख्या: 348(1)उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०२४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
- 3— अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शवित भवन, लखनऊ।
- 4— समस्त मुख्य अधियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अधियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।

- 5— मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8— उप सचिव, ज0श0 प्रशि0 एवं प्रशा0सु0/गोपन/आ0प्र0-(03/04)/आ0प्र0-07 उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 9— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10— उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (02ब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन (ई-मेल—ds.02b@uppccl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई-मेल—ao.vetanlekhha@uppccl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 11— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।



आज्ञा से,
 (राकेश कुमार यादव)
उप सचिव (02ब)